

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक— प्र05 (2) बजट (यो0/गै0यो0) विविध-21/2014 **21 (बजट)** खाद्य, पटना-15, दिनांक **25/08/2026**.

प्रेषक,

विभूति रंजन चौधरी
निदेशक-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ, बिहार।

विषय:— C.W.J.C. No- 22511/2019 मो0 जावेद आलम उर्फ जावेद जहीर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा समहर्ता पूर्णियाँ द्वारा E.C. Act वाद सं0-84/2017 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में देय जयघोष सूद की राशि **रुपये 2,18,064 (दो लाख अठारह हजार चौसठ) मात्र** का उप आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

प्रसंग:— विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-212 दिनांक-17.08.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित वाद अन्तर्गत निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-212 दिनांक-17.08.2026 के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में C.W.J.C. No- 22511/2019 मो0 जावेद उर्फ जावेद जहीर बनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा समहर्ता पूर्णियाँ द्वारा E.C. Act वाद सं0-84/2017 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में देय जयघोष सूद की राशि **रुपये 2,18,064 (दो लाख अठारह हजार चौसठ) मात्र** का वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आवंटन को वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में उप आवंटित करते हुए नियमानुसार/आवश्यकतानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त उप आवंटित राशि मांग सं0-13 के मुख्य शीर्ष-2049-ब्याज अदायगियाँ (प्राभृत), उपमुख्य शीर्ष 60 अन्य दायित्वों पर व्याज, लघु शीर्ष 701- विविध, उप शीर्ष-0003 विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विपत्र कोड संख्या-13-2049607010003, विषय शीर्ष 4501 ब्याज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विकलनीय होगी।

3. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अनुमण्डल पदाधिकारी सदर पूर्णियाँ को अपने स्तर से उप आवंटन निर्गत करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे।

4. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णियाँ होंगे तथा इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्णिया से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गयी राशि की सूचना निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

6. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के निदेश के आलोक में उपर्युक्त राशि का भुगतान संबंधित को किया जाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही विलंब के लिए दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को सूचित करेंगे।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

25/8/26

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-प्र05 (2) बजट (यो0/गै0यो0) विविध-21/2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21 (बजट)

खाद्य, पटना-15, दिनांक 25/08/2026

25/8/26

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-प्र05 (2) बजट (यो0/गै0यो0) विविध-21/2014

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पूर्णिया/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, विहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21 (बजट)

खाद्य, पटना-15, दिनांक 25/08/2026

25/8/26

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2026

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21 (बजट)

/खाद्य,पटना, दिनांक-25/08/2026.

25/8/26

निदेशक-सह-विशेष सचिव।

4/26